

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0008**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

13/03/2025 14:21 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Wednesday**Date from (दिनांक से):**

28/07/2021

Date To (दिनांक तक):

28/07/2021

Time Period (समय अवधि): Pahar

1

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक):

00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 13:55 hrs(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 14:03 hrs4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence****(घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 60 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)(b) **Address (पता):** जिला रेवाड़ी,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ved parkash

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 02/04/1968 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	gurgaon, DLF PHASE-1, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	gurgaon, DLF PHASE-1, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9195822006

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सतपाल		Father's Name: रणबीर सिंह	1. गांव रामगढ थाना सदर जिला RWR,REWARI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम। विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर।

श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच कमांक 01 दिनांक 21.06.2024 रेवाडी, CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ दिनांक 09.05.2024 के आदेश अनुसार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रूनिब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ कमांक 12174/1-2/ACB (H) dated 24.06.2024 के अनुसार दर्ज होकर पडताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई है। और मन निरीक्षक को दिनांक 30.06.2024 को पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जांच में आरोप वर्णित है कि जांच CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2024 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा गेहूँ के बीज पर सब्सिडी दी गई थी उस सब्सिडी वितरण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड में जालसाजी करके सब्सिडी का दुरुपयोग करने की जाँच करने बारे थे।

वर्ष 2020-21 रबी की फसल के दौरान प्रति क्विंटल गेहूँ बीज की कुल राशि 3350 रुपये मानी गई थी। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा किसानों को वर्ष 2020-21 में प्रति क्विंटल 1000 रुपये सब्सिडी देकर, किसानों को कुल 2350 रुपये प्रति क्विंटल बेचा गया था। जिसमें हरियाणा बीज विकास निगम को सब्सिडी दर हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। जिला रेवाडी में हरियाणा बीज विकास निगम ने बीज ब्रिकी केन्द्र रेवाडी, कोसली व अस्थाई केन्द्र बावल थे। ब्रिकी केन्द्र रेवाडी में सत्यपाल, सैल्स मैन तैनात था। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पटौदी के रिकार्ड अनुसार ब्रिकी केन्द्र रेवाडी, में रबी की फसल के दौरान गेहूँ बीज किस्म ब्रिकी का विवरण निम्न प्रकार से है। गेहूँ बीज किस्म (Variety) HD-2967 के 1448 क्विंटल, WH-1105 के 130 क्विंटल, HD-3086 के 2388 क्विंटल, PBW-725 के 140 क्विंटल, HD-3059 के 20 क्विंटल व PBW-723 के 388 क्विंटल कुल 4514 क्विंटल है।

जिला रेवाडी के ब्रिकी केन्द्र रेवाडी में 4514 क्विंटल गेहूँ बीज, ब्रिकी किया गया तथा ब्रिकी किये गये गेहूँ बीज की कुल सब्सिडी 4,51,400 रुपये बनती है। जो उपरोक्त राशि ट्रेजरी के माध्यम से बिल नं० 49 दिनांक 28.07.2021 के अनुसार हरियाणा बीज विकास निगम पटौदी के खाता संख्या 3347008700000691 पंजाब नैशनल बैंक हेली मण्डी गुरुग्राम में दिनांक 12.08.2021 को भेजी गई। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पटौदी के आदेश अनुसार वर्ष 2020-21 रबी की फसल के दौरान जिला रेवाडी के ब्रिकी केन्द्र रेवाडी, के सैल्समैनो से गेहूँ बीज ब्रिकी के सम्बन्ध में ब्रिकी केन्द्र रेवाडी में कुल 4878 क्विंटल (12195 बैग) गेहूँ बीज प्राप्त हुआ था जो किसानों को कुल 4514 क्विंटल (11285 बैग) ब्रिकी किया गया। बाकि 364 क्विंटल (910 बैग) गेहूँ बीज ट्रांसफर कर दिया गया। जिसमें पटौदी ब्रिकी केन्द्र को 232 क्विंटल (580 बैग) गेहूँ बीज, कनीना ब्रिकी केन्द्र को 60 क्विंटल (150 बैग) गेहूँ बीज व बावल ब्रिकी केन्द्र को 72 क्विंटल (180 बैग) गेहूँ बीज ट्रांसफर किया गया।

वर्ष 2020-21 में रबी की फसल RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत जिला रेवाडी के ब्रिकी केन्द्र रेवाडी, में गेहूँ बीज वितरित किया गया था। जिसमें ब्रिकी केन्द्र रेवाडी में 1710 किसानों को, गेहूँ बीज वितरण किया गया। कुल 1710 किसानों में से रेन्डमली 115 किसानों को शामिल जाँच करके कथन अंकित किये गये हैं। जिनमें से 115 किसानों के कथनों में अंकित कराया कि रेवाडी, बीज ब्रिकी केन्द्रों से वर्ष 2020-21 में गेहूँ बीज खरीदना पाया गया। जो ब्रिकी केन्द्रों के सैल्समैनो ने उनके आधार नम्बर लेकर किसान सूची पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये थे तथा गेहूँ बीज की रशीद काटकर दी थी। और रेवाडी ब्रिकी केन्द्र के एक किसान रिकू पुत्र सुबेसिंह निवासी गाँव जड्थल जिला रेवाडी ने अपनी गेहूँ बीज खरीद रशीद की फोटो प्रति पेश की है जिसका रशीद नं० 407 दिनांक 19.10.2020 कुल 10 क्विंटल (25 बैग) कुल राशि 23500 रुपये दर्शाई हुई है।

इसके अतिरिक्त 7 किसानों ने अपने कथनों में अंकित कराया कि रेवाडी बीज ब्रिकी केन्द्रों से वर्ष 2020-21 में गेहूँ बीज खरीदना पाया गया। जो ब्रिकी केन्द्रों के सैल्समैनो ने उनके आधार नम्बर लेकर किसान सूची पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये थे। तथा गेहूँ बीज की रशीद काटकर दी थी। किसानों के पास अब रशीद नहीं पाई गई है। परन्तु उनके द्वारा बीज ब्रिकी केन्द्र रेवाडी के रिकार्ड में गेहूँ बीज बैग दर्शाये हुए हैं उतने बैग गेहूँ बीज उनके द्वारा नहीं खरीदना पाया गया है। बीज ब्रिकी केन्द्र रेवाडी के रिकार्ड में करीब 10/15 बैग दर्शाये हुए हैं। और 7 किसानों द्वारा 1 या 2 बैग ही खरीदना पाया गया है। किसानों के कथन अनुसार किसानों द्वारा खरीद किया गया गेहूँ बीज ब्रिकी केन्द्र रेवाडी के रिकार्ड अनुसार मिलान होना नहीं पाया गया है। जबकि रिकार्ड के

अनुसार जितने गेहूँ बीज के बैग दर्शाये हुए हैं। उनकी रकम रिकार्ड अनुसार ठीक पाई गई है तथा विभाग में जमा करवानी भी पाई गई है।

बीज ब्रिकी केन्द्र रेवाडी के सैल्स मेन सतपाल पुत्र रणबीर सिंह निवासी रामगढ़ थाना सदर जिला रेवाडी ने हरियाणा बीज विकास ब्रिकी केन्द्रों में वर्ष 2020-21 के में गेहूँ बीज वितरण के समय किसान सूची व रशीद के रिकार्ड में किसानों के आधार कार्ड नम्बर धोखाधड़ी से एन्ट्री करके उनके नाम पर 10/15 बैग गेहूँ बीज गलत इन्द्राज करके व किसानों के फर्जी हस्ताक्षर करके अपराध किया है। जिसके खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून धारा 409, 419, 420, 467 471 भा०द०स० व 13 (1) (A) r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था। जांच की पड़ताल पूर्ण होने उपरान्त इस कार्यालय पत्र क्रमांक न० 5067/ACB/GGM Dt. 25.11.2024 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ०नि०ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई थी। जिस पर श्रीमान मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सतर्कता विभाग चण्डीगढ़ के आदेश क्रमांक न० 66/46/2024-6VII Dt. 04.03.2025 व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ०नि०ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के कमांक न० 3677/I-I/ACB (H) dated 05.03.2025 के अनुसार बीज ब्रिकी केन्द्र रेवाडी के सैल्स मेन सतपाल के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून धारा 409, 419, 420, 467 471 भा०द०स० व 13(1)(A) r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने हेतु तहरीर तैयार करने के आदेश प्राप्त होने पर मन निरीक्षक द्वारा उपरोक्त तहरीर प्रारूप तैयार करके अनुमोदन के लिये कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के पत्र क्रमांक 1184/ACB/GGM dated 10.03.2025 अनुसार भेजी गई थी। जिसके उपरांत श्रीमान, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा कार्यालय के पत्र क्रमांक 4392/1-1/ACB (H) Dated 12.03.2025 Panchkula के अनुसार उक्त अभियोग अंकित करने बारे अनुमोदित होने उपरांत प्राप्त हुई। आज मैं कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में उपस्थित हूँ। जो पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम से मन निरीक्षक के नाम तहरीर देने बारे मार्क हुई है। जिस पर तहरीर तैयार करके सतपाल सैल्स मेन उपरोक्त के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून धारा 409, 419, 420, 467 471 भा०द०स० व 13(1)(A) r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने के लिये बदस्त EHC रविन्द्र कुमार नं० गुरुग्राम के हवाले करके थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में भेजी जा रही है। यदि अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिपता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जायेगा। अभियोग अंकित करके अभियोग नम्बर से सूचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जाये। sd Ved Parkash Insp. निरीक्षक वेदप्रकाश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र रेवाडी। दिनांक 13.03.2025 at – 1.50 PM अज थाना – आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई। जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को FIR की प्रति बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से व आने वाले EHC रविन्द्र कुमार न० 1270/गुरुग्राम के माध्यम से मुकदमा हजा की मिशाल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ved parkash Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 1641 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1980				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)